।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।
पीठासीन अधिकारी : मातादीन शर्मा, आई.ए.एस.

42

अपील संख्या 08/2015

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट
ईशरा राम पुत्र श्री सोनाराम जाति जाट निवासी प्रभुपुरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर		1. आईदान पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी प्रभुपुरा तहसील पोरण जिला जैसलमेर 2. सरकार जरिये तहसीलदार पोकरण

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 32 जो तहसीलदार पोकरण द्वारा दिनांक 25.05.2011 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थित :

1. श्री मुल्तानाराम बारूपाल अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से
2. श्री अब्दुल रहमान मेहर अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से
3. नायब तहसीलदार जैसलमेर पेरोकार राज प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 20 अप्रेल, 2017

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के अनुसार वह एवं प्रत्यर्थी आईदानराम सगे भाई है। उनके पिता सोनाराम पुत्र गिरधारारीराम की पुश्तैनी सामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 87 रकबा 153 बीघा 04 बिस्वा ग्राम मुकनसर पटवार हल्का बलाड़ में स्थित रही जिसमें अपीलार्थी के पिता का 1/3 हिस्सा रकबा 51 बीघा 2 बिस्वा रहा । अपीलार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 आईदानराम को उक्त भूमि का बराबर 1/2 हिस्से कर मजमे आम व समाज के मुखियान के समक्ष कब्जे में सुपुर्द की थी जिस पर अपीलार्थी करीब 20 वर्षो से कब्जा काश्त है जहां उसकी ढाणी बनी हुयी है । प्रत्यर्थी संख्या 1 ने साजिश कर उक्त भूमि में अपीलार्थी के पिता के हिस्से की भूमि का विक्रय विलेख अपीलार्थी के पिता से करवा लिया जिस पर तहसीलदार पोकरण द्वारा नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक 25.05.2011 प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक में उक्त भूमि का स्वीकार कर दिया । अपीलार्थी का कथन है कि ग्राम मुकनसर के खसरा नम्बर 87 रकबा 153 बीघा 04 बिस्वा सामलाती खातेदारी भूमि पुश्तैनी है जिसमें अपीलार्थी के पिता का 1/3 हिस्सा जिसका रकबा 51 बीघा 02 बिस्वा रहा है । प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रश्नगत भूमि का बेचाननामा दिनांक 21.04.2010 को करवाया गया जब अपीलार्थी के पिता अस्वस्थ थे । दिनांक 25.04.2010 को अपीलार्थी के पिता की मृत्यु हो गयी । अपीलार्थी द्वारा ग्राम व समाज के मुखियान के समक्ष जब स्थिति रखी तब प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पिता सोनाराम के बेहोश होने की स्थिति में दस्तखत कराना स्वीकार कर बेचाननामा निरस्त करवा देने व अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि पर 1/2 हिस्सा बरकरार रखना स्वीकार किया था परन्तु बाद में बदनियतिपूर्वक मिलावट से प्रश्नगत नामान्तकरण स्वीकार करा लिया । अपीलार्थी का कथन है कि मृतक सोनाराम के वारिसान में उसकी पत्नी श्रीमती पारू , पुत्र अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 आईदानराम व पुत्रिया हरखू, खमा एवं सारो, चेनी है । प्रश्नगत भूमि पुश्तैनी होने का कथन करते हुये अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि उसके पिता को उक्त भूमि बेचान का अधिकार नहीं रहा है। प्रश्नगत बेचाननामा को उसके द्वारा जिला न्यायाधीश जैसलमेर के न्यायालय में चुनौती देकर निरस्ती हेतु दावा किया गया है जो विचाराधीन है । अपीलार्थी द्वारा उक्त आधार पर प्रश्नगत नामान्तकरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया है । अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत नामान्तकरण की जानकारी 02.09.2015 को होने पर दस्तावेज की नकल लेकर दिनांक 01.10.2015 को अपील प्रस्तुत करने का उल्लेख करते हुये धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कारित विलम्ब को क्षम्य कराने का अनुरोध किया गया है ।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी । धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 02.09.2015 को होने पर इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील दिनांक 01.10.2015 को प्रस्तुत कर दी गयी जो 30 दिवस के भीतर है । अतः अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विलम्ब को क्षम्य किया जाय । अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं पेरोकार राज ने इसका विरोध किया । न्यायहित में प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उपयुक्त अनुभप किये जाने पर अपीलार्थी का प्रार्थना अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया गया । गुणावगुण के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 आईदान राम दोनो सगे भाई है जो सोनाराम के पुत्र है । सोनाराम के हिस्से में ग्राम मुकनसर के खसरा नम्बर 87 के रकबा 153 बीघा 04 बिस्वा में 1/3 हिस्सा रकबा 51 बीघा 2 बिस्वा भूमि रही । सोनाराम के वारिसान उसकी पत्नी , दो पुत्र एवं चार पुत्रियां है । सोनाराम की मृत्यु दिनांक 25.04.2010 को हुयी जबकि प्रश्नगत भूमि का बेचाननामा दिनांक 21.04.2010 को कर दिया गया । प्रश्नगत नामान्तकरण बिना जांच भरा जाकर स्वीकृत किया गया है जबकि जांच के बाद कब्जे के आधार पर भरा जाता है । प्रश्नगत बेचाननामा को खारिज करने का दावा सिविल न्यायालय में किया गया है जो जेरकार है । उन्होने प्रश्नगत नामान्तकरण निरस्त करने की अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने का अनुरोध किया । उनका तर्क रहा कि प्रश्नगत भूमि स्वअर्जित नहीं होकर पुश्तैनी है ।

अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 ने गुणावगुण के बिन्दु पर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 दोनो सगे भाई है । पिता ने दिनांक 21.04.2010 को प्रश्नगत भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के प्रत्यर्थी संख्या 1 को कर दिया गया जिससे प्रश्नगत भूमि पर उसे स्वत्व प्राप्त हो गयी व उसे विधिक अधिकार प्राप्त हो गये । ऐसी स्थिति में किसी जांच की आवश्यकता नहीं रहती । उनका तर्क रहा कि विक्रय विलेख को चुनौती देने का वाद व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में जब तक विक्रय विलेख को निरस्त करार नहीं किया जाता तब तक प्रश्नगत नामान्तकरण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता । उन्होने अपील खारिज करने का अनुरोध किया अधिवक्ता अपीलार्थी ने खण्डन में नामान्तकरण स्वीकृति के लिये तहसीलदार द्वारा जांच आवश्यक थी क्योंकि प्रश्नगत भूमि पुश्तैनी है न कि स्वअर्जित । पैराकार राज का तर्क रहा कि प्रश्नगत नामान्तकरण पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर भरा जाकर स्वीकार किया गया है जो विधि सम्मत एवं पोषणीय है ।

उभय पक्षों की बहस पर मनन एवं परिशीलन किया गया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया । अभिलेख की स्थिति से प्रश्नगत भूमि पुश्तैनी पाई जाती है परन्तु संबंधित सहखातेदार द्वारा अपने हिस्से की भूमि का अंतरण पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये प्रत्यर्थी को किया गया जिसके आधार पर प्रश्नगत नामान्तकरण स्वीकार किया गया है । प्रश्नगत भूमि से संबंधित विक्रय विलेख को निरस्त करवाने का जिला न्यायालय में दायर वाद विचाराधीन है । चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल बेचाननामा के आधार पर किया गया है तथा बेचाननामा रजिस्टर्ड है तथा उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामें को निरस्त करवाने के लिये जिला न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है अतः प्रकरण में रजिस्टर्ड बेचाननामा के संबंध में जिला न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के उपरांत ही नियमानुसार कार्यवाही हो सकती है । अतः अपीलार्थी के अभिकथनों में बल नहीं है और वर्तमान में कोई विधिक आधार नहीं रह जाता है अतः इस स्तर पर अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 20 अप्रेल , 2017 सरे इजलास सुनाया गया।

(मातादीन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर

जिला कलक्टर
जैसलमेर